

15. **परीक्षा का स्वरूप** :— आयोग द्वारा सी0बी0टी0/ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :—

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :— झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा सम्बर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा दो चरण में ली जायेगी।

क) प्रथम चरण :— कौशल जाँच परीक्षा

ख) द्वितीय चरण :— लिखित परीक्षा

प्रथम चरण के कौशल जाँच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा अर्थात् यह परीक्षा मात्र अर्हक प्रकृति (Qualifying Nature) का होगा।

कौशल जाँच परीक्षा में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या—10992, दिनांक—25.09.2012 के प्रावधानानुसार दिव्यांगजनों को सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रथम चरण के कौशल जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही द्वितीय चरण अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

क) **प्रथम चरण :— कौशल जाँच परीक्षा** :— कौशल जाँच परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगा।

प्रथम पत्र — इसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलेखन की जाँच परीक्षा ली जायेगी जिसका मानदण्ड निम्नवत् होगा:—

हिन्दी आशुलेखन की जाँच :— इसमें हिन्दी आशुलेखन की जाँच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिन्दी श्रुतिलेख दिया जायेगा।

श्रुतिलेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जायेगा। श्रुतिलेख के पूर्व 01 (एक) मिनट का समय श्रुतिलेख का अभ्यास/तैयारी (Trail) हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख का कम्प्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 (चालीस) मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर टंकण आरम्भ करने के पूर्व 5 (पाँच) मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 5 (पाँच) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

द्वितीय पत्र:— इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जायेगी। इसके अन्तर्गत एक तालिकावार आँकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिये गये निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे:—

- क) उक्त तालिकावार आँकड़े को MS-Word पर टंकित करना।
- ख) MS-Excel पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना।
- ग) MS-Excel पर तैयार आंकड़ों के आधार पर Pie Chart तथा Bar Chart तैयार करना।
- घ) MS-Excel पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS-Power Point में Power Point Presentation हेतु एक Slide तैयार करना होगा।
- ङ) उपर्युक्त कंडिका— (क) से (घ) तक के तैयार सभी दस्तावेज (Document) का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिये गये पते (E-mail-ID) पर भेजना होगा।

इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 (डेढ़) घंटा (90 मिनट) होगी तथा प्रत्येक खण्ड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट— कौशल जाँच अन्तर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जाँच परीक्षण एवं कम्प्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

ख) **द्वितीय चरण : लिखित परीक्षा :-**

लिखित परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा।

प्रथम पत्र — इस परीक्षा की अवधि 03 (तीन) घंटे की होगी। इस पत्र में चार विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क)	हिन्दी भाषा का ज्ञान	—	25 प्रश्न (75 अंक)
ख)	अंग्रेजी भाषा का ज्ञान	—	25 प्रश्न (75 अंक)
ग)	सामान्य अध्ययन	—	25 प्रश्न (75 अंक)
घ)	तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच	—	25 प्रश्न (75 अंक)
कुल		—	100 प्रश्न (300 अंक)

प्रथम पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम

- क) हिन्दी भाषा का ज्ञान – इसके अन्तर्गत हिन्दी अनुच्छेद एवं हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान— इसके अन्तर्गत अंग्रेजी अनुच्छेद एवं अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- ग) सामान्य अध्ययन – इसके अन्तर्गत समसामयिक विशयों, भारत देश, झारखण्ड राज्य एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- घ) तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच – इसमें मैट्रिक स्तर के तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच हेतु शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक जिसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय पत्र:- जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा : इस पत्र में उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (पूर्णांक 300 अंक) पूछे जायेंगे। इस परीक्षा की अवधि 02 (दो) घंटा की होगी।

चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

द्वितीय पत्र का पाठ्यक्रम

कुरमाली

1. **व्याकरण :** संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य – शुद्धिकरण।
2. **शिष्ट साहित्य :** कुरमाली – साहित्य के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता)
3. **लोक साहित्य :** कुरमाली लोकथा
 - लोकगीत – करम, बिहागीत, डमकच, बांदना (सोहराई)
 - झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी
 - कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ
 - कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय

हो

1. **व्याकरण :-** संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली काल आदि।
2. **साहित्य:**

(i) **गद्य संग्रहः**— मगे मुनु जगर, मादेड़ साड़े, लको बोदरा, बले बुरु रेयः काअनि, रिनुइ गोन्डाई, लाड ओए चिल्काते बोंडोलेयना।

(ii) **पद्य संग्रहः**— गुलाब बड़ा, दिशुम, अबुअः भारत दिसुम, अम्बुल, जोनोम दिसुम, सिंगि।

खोरठा

1. **गद्य भागः**— कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास

(क) खोरठा गद्य— पद्य संग्रह— प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो।

(ख) दू डाइर जिरहुल फूल

2. **व्याकरणः**— संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत।

सहायक पुस्तकेंः

(क) खोरठा सहित सदानिक व्याकरण — लेखक ए. के. झा

(ख) खोरठा व्याकरण — लेखक वासुदेव महतो

3. **निबंधः**— समसामयिक विषय पर

सहायक ग्रन्थ — खोरठा निबंध संग्रह

सम्पादक मंडल — कुमारी शशि, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. बी. एन. ओहदार

खोरठा निबंध — लेखक डॉ. बी. एन. ओहदार

खड़िया

1. **व्याकरण** :— संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा, बुझवाल, उल्टा शब्द।

2. **शिष्ट साहित्य** :— खड़िया पाठ्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)

3. **लोक साहित्य** :—

(i) खड़िया कहानी (लोककथा)

(ii) खड़िया गीत—पर'ब—तिहा, बिहा (केरसोड.), मुरड', कसासिड।

(iii) खड़िया साहित्यकार—जुलियुस बा', प्यारा केरकेट्टा, जोवाकिम डुंगडुंग, पौलुस कुल्लू।

(iv) **निबंध** — शहीद तेलेंग खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड कोर, करम, मदेइत, जनम परब।

पंच परगनिया

1. **व्याकरण** :— संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, उल्टा शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, विशिष्ट शब्द, पत्र लेखन आदि।

2. **शिष्ट साहित्यः**— पंचपरगनिया साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)

3. **लोक साहित्य**—

(i) मारांग बुरु,

- (ii) पूजा थान (देवस्थल)
- (iii) करम गीत, सँहरइ गीत, बिहा गीत, पुसगीत, मंतर गीत।
- (iv) बिरसा मुण्डा, स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े लोग
- (v) पंचपरगनिया साहित्यकार एवं उनकी कृति
- (vi) पंचपरगनिया साहित्य का परिचय

संथाली

1. **व्याकरण** — संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण।
2. **शिष्ट साहित्य** — संताली-साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)
3. **लोक साहित्य** —
 - (क) आगिल हापड़ाम कोवा; काथा,
 - (ख) आगिल हापड़ाम कोवा सेरेज-एनेच्-बाहा, डाहार, सोहराय, काराम, दाँसाँय।
 - (ग) माहात्मा गाँधी जियोन चरित।
 - (घ) सिदो कानहू और तिलका माँझी जीवन एवं आंदोलन
 - (ङ) संताली साहित्यकार एवं कृति
 - (च) संताली साहित्य का परिचय

नागपुरी

1. **नागपुरी व्याकरण से**— वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रियाविशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द उपसर्ग-प्रत्यय, समास अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि।
2. **नागपुरी शिष्ट साहित्य से** — मंजर- भाग-2 से— शकुंतला मिश्र, डॉ. उमेशनन्द तिवारी
3. **नागपुरी लोक सहित्य से** — लोक गीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे

मुण्डारी (मुण्डा)

1. **व्याकरण** — संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण।
2. **शिष्ट साहित्य** — मुण्डारी साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश-कहानी, गीत कविता।
3. **लोक साहित्य** — मुण्डारी लोक गीतों (बा, करम, जरगा, जतरा, जपि, अड़ान्दि)

कुडुख (उराँव)

1. **व्याकरण** — संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।
- (क) **शिष्ट साहित्य** — कुडुख साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत, कविता)

2. लोक साहित्य –

- (क) लोक कथा
- (ख) लोक गीत
- (ग) मुहावरे
- (घ) कहावतें
- (ङ) पहेली

उड़िया

1. गद्य विभाग

(A) साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------|
| (a) | दुनियार हालचाल | – | गोपाल चन्द्र प्रहराज |
| (b) | नारद स्तुति | – | डा. सदाशिव मिश्र |
| (c) | जातिय स्रोतरे बुद्धिजीवी मानक स्थान | – | डा. वैद्यनाथ मिश्र |
| (d) | स्वाधीन जातिर नूतन मूल्यबोध | – | डा. गोलक विहारी घल |

(B) आम साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------------|---|--------------------|
| (a) | उच्चाभिलाश | – | भाशिभूषण राय |
| (b) | सेहि स्मरणीय दिवस | – | डा. हरेकृष्ण महताव |
| (c) | विद्या ओ विधार्थी | – | चित्तरंजन दास |

2. पद्य विभाग

(A) साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------|---|------------------------|
| (a) | उत्कल संतन | – | मधुसूदन दास |
| (b) | नदी प्रति | – | मधुसूदन राउ |
| (c) | धउली पाहाड़ | – | पदमचरण पट्टनायक |
| (d) | आगामी | – | कालिन्दीचरण पाणिग्राही |
| (e) | बापुजी | – | डा. मायाधर मानसिंह |

(B) आम साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|-------------------|
| (a) | युधिष्ठिरक धर्म परीक्षा | – | भारला दास |
| (b) | रामचरित | – | उपेन्द्र भंज |
| (c) | छांट पुणि एडे से विराट | – | सच्ची राउतराय |
| (d) | ग्रामपथ | – | विनोद चन्द्र नायक |

2. उड़िया साहित्यर इतिहास

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------|
| (a) | उड़िया साहित्यर आदि पर्व | – | सुरेन्द्र मंहान्ती |
| (b) | उड़िया साहित्यर इतिहास मध्य पूर्व | – | सुरेन्द्र मंहान्ती |
| (c) | उड़िया साहित्यर इतिहास | – | डा. मायाधर मानसिंह |
| (d) | उड़िया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास | – | डा. वृंदावन आचार्य |

3. काव्य ओ कविता

- (a) श्रीमद् भागवत (एकादश स्कन्द) — जगन्नाथ दा
 (b) तपस्विनी — गंगाधर मेहर
 (c) कारा कविता — गोपबन्धु दा ।
4. उपन्यास
 (a) छ' माण आठगुण्ट — फकीर मोहन सेनापति
 (b) माटिर मणीश — कालिन्दी चरण पाणीग्रही
5. गल्प
 (a) गल्प भवल्प (प्रथम भाग) — फकीर मोहन सेनापति
 (b) आजिर गल्प संकलन — निमाइ चरण पटनायक
 (डिमिरी फुल , मागुणीर भागड, शिकार)
6. नाटक
 (a) कोणार्क — अश्विनी कुमार घोष
 (b) घर संसार — रामचन्द्र मिश्र
7. व्याकरण
 लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, अव्यय, क्रिया, संधि, समास, रूढ़ि प्रयोग, विपरीतार्थक भाब्द, कुदन्त, तद्धित ।

Urdu

1. Prose

- i. Qaumi Hamdari - Hali
 ii. Guzra Howa Zamana - Sir Syed Ahmed Khan
 iii. Achhi kitab - Molvi Abdul Haque

2. Poems

- i. Tarana-e-Hind - Iqbal
 ii. O Desh se Aanewale Bata - Akhtar Sheerani
 iii. Nagma-e-Sahar - Josh Malihabadi
 iv. Barkha Rut aur Pardes - Hali.

3. Grammar

- i. Opposite
 ii. Gender
 iii. Singular
 iv. Plural
 v. Meanings.

Bengali

1. Novel, Drama, Poetry

- (A) Ramer Sumati- Sharatachandra
 (B) Mukut-Rabindranath Thakur
 (C) Shishu Kabyo (Selected)- Rabindranath Thakur
 (i) Manjhi, (ii) Pujar Saj
 (iii) Sukhdukkha (iv) kagajer Nouka

(D) Kabyo Sanchayan- Sahyendranath Dutta

(i) Mati

(ii) Jharna

(iii) palkirgan

(iv) Sagar Tarpan

2. Grammar- Bisheshya, Bisheshan, Sarbanam, Kirya, Linga, Bachan

3. Essay

4. Letter writing

16. लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र के विषयों के प्राप्तांक/Normalised प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी
- (ii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:—
- | | |
|--|-------------------------------|
| (I) अनारक्षित | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला | — 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग —(अनुसूची-1) | — 34 (चौत्तीस) प्रतिशत |
| (IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| (V) आदिम जनजाति | — 30 (तीस) प्रतिशत |
| (VI) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी।

17. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-16 के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कोटिवार रिक्त के सापेक्ष अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्त के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

18. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधीन होगी।

19. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुनर्गणना के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।
- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

- (xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।
- (xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यता: जमा करना होगा।
- (xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह. / -
परीक्षा नियंत्रक।